फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर

बाबू बनाम राजीव वर्मा

मुकदमा संख्या / वर्ष पाठण बोय (दक्ष) 06/2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/02/2022	पत्रावली अधिवक्ता श्री रामकिशोर चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र 09R09 सपठित धारा 151 CPC प्रस्तुत करने पर पेश हुई। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया उनके पास आगामी पेशी 18/2/22 दी थी तथा कार्यवाही 14/2/22 में 13/2/22 को नियत की गई एवं दिनांक 13/2/22 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। जो पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित होगा। प्रार्थना पत्र 9R09 सपठित धारा 151 CPC जो समय अवधि में पेश की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। इसके वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र 9R09 सपठित धारा 151 CPC व वकील प्रार्थी की बहस एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 9R09 सपठित धारा 151 CPC कि उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा वकील प्रार्थी के समयावधि में पेश किया गया है अतः न्यायहित आगामी बयान करने हेतु निवेदन किया है अतः मैं प्रार्थना पत्र 09R09 सपठित धारा 151 CPC को स्वीकार किया जाता है कि वह इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि वह मूल वाद में अपराधिक (प्रतिबंधात्मक) की तामील ... पत्रावली ... से ... पत्रावली को नम्बर से दर्ज किया जावे। तथा पत्रावली ... प्रकरण ... मूल वाद के ... 28 ... में तुलना जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:50:02 IST
Reason: Self Attested

अर्शदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर